(c) the number of the Commercial Inspectors on the Indian Railways working in the grades of Rs. 250-380, Rs. 335-425, Rs. 370-475 and Rs. 450-575 separately for each zone;

(d) whether it is a fact, that there is great disparity in the upgraded posts of the Commercial Clerks from one zone to another; and

(e) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) to (e). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

मोटर-कारों के निर्माण के लिए लोहे का आयात

3644. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर-कारों का निर्माण करने के लिये विदेशों से लोहे का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या स्वयं देश में ऐसे लोहे का निर्माण नहीं किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका कब निर्माण किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कारों का निर्माण करने के लिये इस्पात के सामान का आयात किया जा रहा है लोहे का नहीं ।

(ख) और (ग). जितने माल की आवश्यकता होती है उसका फिलहाल केवल कुछ अंश राउरकेला इस्पात संयंत्र से प्राप्त होता है । लोहा तथा इस्पात विभाग के परामर्श को पर्याप्त मात्रा में इस्पात का सामान बनाने की व्यवस्था करने तथा देश के इस्पात संयंत्रों से विशेष किस्म का इस्पात प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

रूमानिया से व्यापार करार

3645. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 तक रूमानिया के साथ बढ़ाये गये व्यापार तथा भुगतान करार का ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त करार के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत सरकार और रूमानिया के समाजवादी गणराज्य के मध्य दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार, जो 30-11-1962 को सम्पन्न हुआ था, पहले 1-1-1963 तथा 31-12-1967 के मध्य की अवधि के लिये वैध था । वैधता की यह अवधि अब 31-12-1968 तक और बढ़ा दी गई है । इस करार की मुख्य बातें ये हैं : (1) रूमानिया से सभी आयातों को भारत से निर्यातों द्वारा संतुलित किया जाना है; (२) दोनों ओर से परम-मित्र राष्ट्र व्यवहार किया जायगा; (३) वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक, सभी भुगतान भारतीय रुपयों में किये जायेंगे; और (4) रुपया लेखों में जो भी राशि बचेगी, उसे भारतीय माल की खरीद के लिये प्रयुक्त किया जायेगा ।

इस करार की प्रति पहले ही संसद् पुस्तकालय में प्राप्य है ।

(ख) एक सूची सभा-पटल पर रखी है, जिसमें रूमानिया से भारत को आयात के लिये और भारत से रूमानिया को निर्यात के लिये प्राप्य माल का विवरण दिया गया है । [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या LT-430/68]

BANKS OWNED BY BIRLAS

3646. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP-